की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नामांतरण पंजी क. 74 वर्ष 2009—10 राजनगर में पारित आदेश दिनांक 28.07.2010 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक क. 1 द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदक क. 4 कट्टु पुत्री बिन्द्रा के मृत होने के कारण उसके भाई होने के नाते उसे उत्तरवादी के रूप में लेख किए जाने के निर्देश देने का निवेदन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन आदेश दिनांक 12.08.2014 द्वारा निरस्त किया एवं प्रकरण म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत आवेदन के जवाब हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इस अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर करने का निवेदन किया गया है।

4 उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत इस आधार पर कि आवेदक पूर्व से पक्षकार है तथा मृतक कट्टू के वैध वारिसों को भी पक्षकार बनाया जा चुका है इस कारण अब पुनः आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। उनके इस आदेश में कोई वैधानिक एवं न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

26

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

---

निगरानी 2738–तीन / 14 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.08.2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर प्रकरण क्र. 107 / अपील / 2011–12 .

---

पिरवा पिता बिन्दा ढीमर
निवासी राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.) ................आवेदक

**विरुद्ध**

1. कल्लू उर्फ कल्ला ढीमर तनय कडोरा ढीमर
2. ऊषा सोनी पुत्री छन्नूलाल सोनी
3. मोहनलाला उर्फ बागी ढीमर
   निवासी राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)
4. मुन्नी तनय मुलुवा ढीमर
   निवासी ग्राम बारी तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) ................अनावेदकगण
5. शासन म0प्र0

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित

---

### आदेश

**( आज दिनांक 07/12/17 को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्र. 107 / अपील / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2014 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश